न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 21/2024

मदनलाल पुत्र सुवा जाति जाट नि0 चिरनोटिया, तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. ईसरराम पुत्र अर्जुन
2. ईसरा पुत्र काना
3. कालूराम पुत्र श्योराम
4. गंगाराम पुत्र कानाराम
5. गुमानराम पुत्र केशरराम
6. गिरधारी पुत्र मेवला/मेवा
7. गोपाल पुत्र सुवा
8. गोपाल पुत्र काना
9. जगदीश पुत्र डालूराम
10. जयपाल पुत्र छीतर
11. जीवण पुत्र डालूराम
12. दल्ला पुत्र रूडा
13. नरसी पुत्र छीतर
14. नाथूराम पुत्र छीतर
15. प्रहलाद पुत्र छीतर
16. पूरा पुत्र रामनारायण फौतशुदा जरिये कायममुकान–

    16/1– कजोड पुत्र पूरा

    16/2– नेताराम पुत्र पूरा

    16/3– हेमाराम पुत्र पूरा

    16/4– घीसा पत्नि पूरा
17. बनवारीलाल जाट पुत्र केशराम
18. बाबूलाल पुत्र डालूराम
19. बिरदाराम पुत्र मेवा/मेवला
20. भैरूराम पुत्र सुवा
21. भोजराज पुत्र छीतर
22. मंगलीदेवी पत्नि डालूराम
23. महेन्द्र पुत्र छीतर

Neha
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

24. मांगीलाल पुत्र डालूराम
25. मोहरीदेवी पत्नि बालू फोतशुदा–
26. रामेश्वर पुत्र डालूराम
27. लक्ष्मण पुत्र सुवा
28. सुरेश कुमार जाट पुत्र केशरराम
29. सीताराम पुत्र सुवा
30. हनुमान पुत्र डालूराम
31. हरफुल पुत्र श्योराम
32. हीरालाल पुत्र दत्तक बालू
33. राधाकिशन पुत्र सुवा
34. बिरधाराम पुत्र मेवाराम

समस्त जाति जाट निवासी चिरनोटिया तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

35. किरण पत्नि दूर्गाप्रसाद जाति अहीर (यादव) निवासी उलसेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर फोतशुदा जरिये कायममुकामान–35/1– उर्मिला यादव पुत्री दुर्गाप्रसाद पत्नि दिनेशकुमार जाति अहीर नि0 मुक्तानन्द नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर राज0
36. जयन्त पुत्र दिनेश कुमार जाति अहीर (यादव) निवासी 25 मुक्तानन्द नगर, गोपालपुरा बाई पास जयपुर जिला जयपुर।
37. सुप्यार कंवर पत्नि अगमसिंह जाति राजपूत नि0 चिरनोटिया तह0 जोबनेर जि0 जयपुर। फोतशुदा कोई वारीस नही।
38. अनिता पुत्र गोपाल
39. पेमाराम पुत्र गोपाल
40. मन्नीदेवी पत्नि गोपाल
41. राजेन्द्र पुत्र गोपाल
42. जमना देवी पुत्री सुवा
43. नन्दू देवी पत्नि सुवा
44. माना देवी पुत्री सुवा
45. रूकमादेवी पत्नि सुवा
46. रामाकिशन पुत्र सुवा

समस्त जाति जाट निवासी चिरनोटिया तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

47. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री बबलू कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी

(stamp: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर)

(signature) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

दिनांक :– 29/08/2025

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि जमाबंदी संवत 2078 मे वर्णित खाता सं0 नया 129 पुराना 122 की आराजीयात खसरा नम्बर 142/1 रकबा 1.2013 है0 बारानी–3, वाकै ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का मुरलीपुरा, गिरदावर हल्का हिंगोनिया, तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनिता, पेमाराम, भैरूराम, मन्नीदेवी, राजेन्द्र लक्ष्मण, सीताराम के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसमे मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी व उपरोक्त सहहिस्सेदार संयुक्त रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार है।

इसी प्रकार मुताबिक चालू जमाबंदी संवत 2078 मे वर्णित खाता सं0 नया 143 पुराना 137 की आराजी खसरा नम्बर 143/4 रकबा 1.8841 है0, वाकै ग्राम ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का मुरलीपुरा, गिरदावर हल्का हिंगोनिया, तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनिता, जमनादेवी, नन्दूदेवी, पेमाराम, भैरूराम, मन्नीदेवी, मानादेवी, रूकमादेवी, राजेन्द्र, रामकिशन, लक्ष्मण, सीताराम, हनुमान के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसमे मुताबिक जामबंदी प्रार्थी उपरोक्त सहहिस्सेदार संयुक्त रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार है जिसकी जमाबंदी संलग्न है।

आराजी खाता सं0 नया 22 पुराना 18 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 142/5 रकबा 0.0379 है0 बारानी–3 एवं खाता सं0 नया 119 पुराना 112 के ख0न0 141 रकबा 0.8219 है0 बारानी–2, एवं खाता सं0 नया 82 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 142/2 रकबा 1.3277 है0 बारानी–3, एवं खाता सं0 नया 142 पुराना 136 की आराजी खसरा नम्बर 245/131 रकबा 2.6555 है0 किस्म बारानी–3, एवं खाता सं0 नया 131 पुराना 124 की आराजी खसरा नम्बर 131/2 रकबा 5.2856 किस्म बारानी–3, एवं खाता सं0 नया 83 पुराना 73 की आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 0.1012 है किस्म बारानी–3, एवं खाता सं0 नया 103 पुराना 95 की आराजी खसरा नम्बर 144/1 रकबा 1.3151 है0 किस्म बारानी–3, एवं खाता सं0 नया 39 पुराना 33 की आराजी खसरा नम्बर 248/143 रकबा 0. 3667 है0 किस्म बारानी–3 वाकै ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का मुरलीपुरा, गिरदावर हल्का हिंगोनिया, तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जो अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात के पडोसी है जिनसे अक्सर सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए प्रार्थी ने अपनी आराजीयात का तहसीलदार तहसील

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

जोबनेर के आदेश कमांक भू0अ0/23/2210 दिनांक 3/7/2023 की पालना मे दिनांक 22/9/23 को पटवारी हल्का के जरिये उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सीमाज्ञान करवा लिया है। सिमाज्ञान की रिपोर्ट प्रस्तुत है। प्रार्थी सीमा संबंधी विवाद का स्थायी समाधान करने के लिए नियमानुसार पत्थरगढी कराकर पुख्ता निशानात कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के लिए यह प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी पेश करना आवश्यक हुआ है। ताकी सीमा संबंधी सम्पूर्ण विवाद समाप्त हो जायें।

अप्रार्थीगण सं01 लगा0 46 प्रार्थी के उपरोक्त आराजीयात के सींव जोड पडोसी काश्तकार है, एवं रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजीयात लगवा है जिनके मध्य सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 5/4/2024 को सीमाज्ञान अनुसार नियमानुसार निशानात कायम करने पर सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होने एवं पत्थरगढी कराने के उपरांत ही पत्थर गाढने का कहने पर उक्त प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता सं0 नया 129 पुराना 122 की आराजीयात खसरा नम्बर 142/1 रकबा 1.2013 है0 बारानी–3, खाता सं0 नया 143 पुराना 137 की आराजी खसरा नम्बर 143/4 रकबा 1.8841 है0 बारानी–3, वाकै ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का मुरलीपुरा, गिरदावर हल्का हिंगोनिया, तहसील जोबनेर जिला जयपुर का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 22/9/2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करायी जाकर सीमा पर पत्थर गढ़ाये जाने का आदेश तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर को प्रदान करे जिससे पक्षकारान के मध्य उत्पन्न सीमा विवाद समाप्त हो सके।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 46 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 47 तहसीलदार, जोबनेर ने दिनांक 22.04.2025 को जवाब इस आशय का पेश किया है कि कि आराजी खसरा नम्बर 142/1 रकबा 1.2013 हे0 किस्म बारानी 3 में प्रार्थी मदनलाल पुत्र सुवा व अप्रार्थीगण अनिता, पेमाराम, भैरूराम, मन्नीदेवी, राजेन्द्र, लक्ष्मण, सीताराम की संयुक्त खातेदारी में हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम चिरनोटिया के आराजी खसरा नंबर 143/4 रकबा 1.8841 हे0 किस्म बारानी 3 में प्रार्थी मदनलाल पुत्र सुवा व अप्रार्थीगण अनिता, जमनादेवी, नन्दूदेवी, पेमाराम, भैरूराम, मदनलाल, मन्नीदेवी, मानादेवी,

Neha
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

रूकमा देवी, राजेन्द्र, रामकिशन, लक्ष्मण, सीताराम, हनुमान संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसकी जमाबंदी संलग्न है। खसरा नं0 143/4 व खसरा नंबर 142/1 के चारो तरफ खसरा नं0 142/2 के पूर्व में खसरा नंबर 142/2 दक्षिण दिशा में खसरा नं0 143, पश्चिम दिशा में खसरा नं0 131/2, 245/131 व उत्तर दिशा में खसरा नं0 141 व 140/2 स्थित है जिनमे फसल काश्त की हुई है। खसरा नं0 143/4 के उत्तर दिशा में 143, 143/2 व पूर्व दिशा में 248/143 दक्षिण दिशा में 143/5 व पश्चिम दिशा में 144/1, 131/2 स्थित है जिनमे फसल काश्त की हुई है। उक्त चारो तरफ के खसरा नं0 व प्रार्थी के बीच बार–बार विवाद होता है जिसके कारण दिनांक 05.04.2024 को सीमाज्ञान किया गया।

बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। खसरा नम्बर 142/1 रकबा 1.2013 है0 बारानी–3 एवं खसरा नंबर 143/4 रकबा 1.8841 हे0 वाकै ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का मुरलीपुरा, गिरदावर हल्का हिंगोनिया, तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसमे मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी व उपरोक्त सहहिस्सेदार संयुक्त रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजीयात का सीमा ज्ञान भी कराया गया था। प्रार्थी मुताबिक सीमा ज्ञान रिपोर्ट अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाकर तारबंदी करवाना चाहती है। जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न ना हों। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 142/1 रकबा 1.2013 है0 बारानी–3, एवं खसरा नंबर 143/4 रकबा 1.8841 हे0 वाकै ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का मुरलीपुरा, गिरदावर हल्का हिंगोनिया तह0 जोबनेर का भूमि सीमा जानकारी के लिये भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से

Neha
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक हिंगोनिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। नियमानुसार कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः भू0अ0नि0 हिंगोनिया जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार जोबनेर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को टंकित किया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

नेहा राठी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर